



2026:AHC:29868

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - ए सं. - 1967 सन् 2026

अभय राम यादव

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण)	: आशुतोष कृष्ण, सौरभ कुमार, विक्टर कैसर
प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण)	: सी.एस.सी.

न्यायालय सं. - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आशुतोष कृष्ण और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विवेक सिंह को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि रिट याचिकाकर्ता को 01.08.1989 को कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था और रिट याचिकाकर्ता हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति का दावा करता है। हालांकि रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, आईपीसी की धारा 223, 224 के तहत "311/99" नंबर वाली एक एफआईआर दर्ज की गई और 20.07.1999 को एक आरोप पत्र भी प्रस्तुत किया गया, लेकिन पूरे आपराधिक रिकॉर्ड नष्ट हो गए, हालांकि, पदोन्नति के लिए रिट याचिकाकर्ता के दावे पर 28.05.1997 के शासकीय आदेश के संदर्भ में विचार नहीं किया गया है।
3. दूसरी ओर विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा पहली बार में किया जाना है।
4. बार में इस प्रकार की गई प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण रिट याचिकाकर्ता को रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और प्रतिवादी संख्या 4 के समक्ष आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक व्यापक प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता देने का निर्देश देने के लिए किया गया है, जो उक्त प्रस्ताव पर दो महीने की अवधि के भीतर रिट याचिकाकर्ता के दावे पर कानून के अनुसार आदेश की प्रमाणित प्रति के पेश करने की तारीख से सख्ती से विचार करने के लिए आगे बढ़ेगा।
5. यदि प्रतिवादी संख्या 4 को पता चलता है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो रिट याचिकाकर्ता को उचित सूचना देने के बाद कागजात उस प्राधिकरण को भेजे जाएंगे।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

फरवरी 11, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"